



+91 9414075354

महेन्द्र सिंह

IAS (से.नि.)

(पूर्व उपाध्यक्ष राज. प्रदेश कोंग्रेस कमेटी)

(निवास : ५ज - २ए जवाहर नगर, जयपुर - 302004)

पता-हाल-भीम नगर, बयाना (भरतपुर)

04/03/2020

The J.

Ja

Jaipur.

JDF

R
4/3/20

AC(14)/R-B20
4/3/2020

AC(LPC)

ply process
urgently

24/3/2020

Subject. Request to initiate the process of providing land for permanent campus of Dr Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur.

Sir, I wish to submit that I have joined as the first Vice Chancellor of Dr Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur, by Govt of Rajasthan. In this regard you are requested to kindly initiate the process of providing land for development/creation of permanent campus of the University. Preferably at near Mass community college University land at village Dakni Kala, Ajmer Road Please,

Thanking you

Yours faithfully,

Gulzar,

04/03/2020

(Dr Dev Swarup)
Vice Chancellor
Dr Bhimrao Ambedkar
Law University, Jaipur.
M. 9871496304

04/03/2020

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र

1. विभाग/संगठन का नाम डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर
2. प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) कुलसचिव
3. डाक पता, टेलिफोन नं., मोबाइल नं. व मेल आई.डी.- अस्थागीकारभिलाप (किरायेपर)
ग्राउंडफ्लोर, रजसाभवन, शिल्प संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य - विश्वविद्यालय हैतु प्रशासनिक शोषणिक परिसर-भवन
PIN:- 302015.
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) 20 से 30 एकड़ भूमि
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 80,000 से 1,20,000 कर्गमीटर
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत् संक्षिप्त विवरण) राजस्थान के प्रेरणादेश में विधिक शिक्षा शुणवता प्रबन्ध एवं उच्च मानदंडों की होगी। कम्पस में शिक्षण व प्रदेश के संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज़:- के ४४ विधिक महाविद्यालयों की सम्बद्धि का प्रशासनिक व परीक्षा संपादन का कार्य होगा।
- I. प्रोजेक्ट के बाबत् प्रशासनिक निर्णय की प्रति:- अधिकारियम संरक्षा 6/2019.
- II. चाही गई भूमि बाबत् विभागीय मानक (Norms) :-
- III. वित्तीय स्वीकृति / बजट प्रावधान का विवरण:-
- IV. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत् मुख्य विवरण)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 08/12/20

स्थान : जयपुर

(राजनारायण शास्त्री)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/नाम
(राजनारायण एस.)

कुलसचिव
डॉ. भीमराव अम्बेडकर
(विधिविद्यालय)
राजस्थान

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

स्व-घोषणा पत्र



मैं राजनारायण शर्मा पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री रामजीलाल शर्मा

उम्र ५८ वर्ष, निवासी

कुलसचिव, डॉ भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर
जिला, राजस्थान घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन पत्र में वर्णित समस्त सूचनाएं

तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज मेरी निजी जानकारी और विश्वास में सही एवं दुरुस्त हैं। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी भविष्य में झूठी/असत्य पाये जाने पर मैं ख्ययं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी एवं मुझे इसके लिए विधि अनुसार दण्ड का सामना करना पड़ेगा तथा जो भी लाभ मेरे द्वारा प्राप्त किये गये हैं उन्हें पूर्ण रूप से वापिस से ले लिया जावेगा।

दिनांक : ०८/१२/२०

स्थान : जयपुर

(R)

आवेदक के हस्ताक्षर
राजनारायण शर्मा
(आर.ए.एस.)

कुलसचिव

डॉ. भीमराव अम्बेडकर
विधि विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)